५०५ (55)

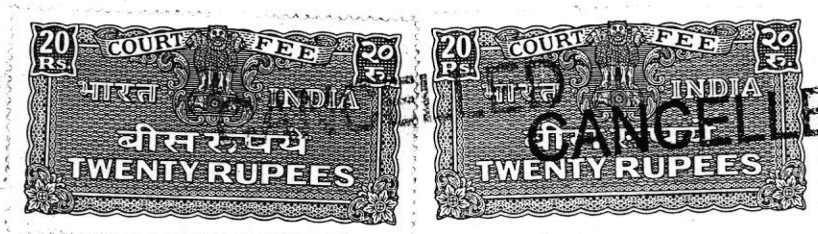

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, जबलपुर कैम्प,

राजस्व पुनरीक्षण क्रं० /2009-10 R-1749-I/2010

पुनरीक्षणकर्तागण:-

दि. 7-12-10 को कैम्प इन्दौर पर प्राप्त

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
01 NOV 2010
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

7-12-10

(93)

14.12.10

1. छत्तर सिंह उम्र लगभग 54 वर्ष, आत्मज स्व0 मुल्लू सिंह, निवासी-ग्राम सुन्दरादेही, तहसील - पाटन (पुरानी) वर्तमान तहसील - शहपुरा, जि.जबलपुर.
2. श्रीमति हीरा बाई (मृत) मार्फत :- वारसान :-

ए. श्रीमति शीला बाई पत्नि श्री हुकमसिंह उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी-ग्राम - पथरोरा, तह0 पाटन जि. जबलपुर.

बी. श्रीमति सरोज बाई उम्र लगभग 36 वर्ष पत्नि श्री मदन सिंह निवासी- ग्राम - सुन्दरादेही, तह0 शहपुरा. जि.जबलपुर.

सी. श्रीमति उमाबाई उम्र लगभग 34 वर्ष, पत्नि श्री खुमान सिंह नि0ग्राम हरदुआ तह. पाटन जिला जबलपुर.

डी. राजासिंह उम्र लगभग 32 वर्ष आत्मज श्री अर्जुन सिंह नि0 ग्राम मातनपुर, बेलखेड़ा, तह. पाटन. जि. जबलपुर.

ई. श्रीमति शिवकुमारी उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नि रोशन सिंह नि0 ग्राम- बजरंगगढ़, तह.पाटन जिला जबलपुर.

3. किशन सिंह उम्र लगभग 51 वर्ष, आत्मज स्व0 मुल्लू सिंह,
4. श्रीमति कुन्तीबाई (मृत)
5. चैतसिंह उर्फ वंशी सिंह उम्र लगभग 59 वर्ष, आत्मज कोदूसिंह लोधी,

क्रं. 3 एवं 5 नि0ग्राम-सुन्दरादेही, तह. पाटन, (पुरानी) वर्तमान तह. शहपुरा, जि.जबलपुर.

विरुद्ध

अनावेदक:- कमोद सिंह उम्र लगभग 65 वर्ष आत्मज स्व0 मुल्लू सिंह लोधी नि0 ग्राम सुन्द्रादेही, तह0 पाटन (पुरानी) वर्तमान तह0शहपुरा जिला जबलपुर.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा - 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959.

पुनरीक्षणकर्तागण विद्वान निम्न अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्र0 क्र0 526/अ-27/2009-10, छत्तर सिंह एवं अन्य विरूद्ध कमोद सिंह मे पारित आदेश दि0 26.7.2010 से दुखित होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा विद्वान निम्न प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा राजस्व अपील क्रं. 53/अ-27/2001 मे पारित आदेश दिनांक - 28.3.03 के विरूद्ध माननीय द्वितीय अपीलीय न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्र0क्र0 - 489/अ-27/02-03 पक्षकार छत्तर सिंह एवं अन्य विरूद्ध कमोद सिंह प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण पारित आदेश दि03.8.09, के तहत् किया जाकर प्रकरण को विद्वान अधिनस्थ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था ।

2. यह कि, माननीय द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दि0 3.8.09 केतहत् प्रकरण का प्रत्यावर्तन मात्र इस आधार पर किया गया था कि अनावेदक को विधिवत् नोटिस जारी नही किये गये है तथा नोटिस तामीली उपरांत प्रकरण में संलग्न नही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1749—एक / 2010 जिला —जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
5.2.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित होकर आवेदन धारा 152 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया। उनके द्वारा बताया गया है कि प्र0 क0 निगरानी 1479—एक / 10 में पारित आदेश दिनांक 4.12.15 में पद कमांक—1 में 1 नम्बर नहीं डाला है इसी प्रकार पद कमांक—2 में रिथपुर के स्थान पर सिहंपुर लिखना है एवं पद कमांक—2 में ही तीसरी पंक्ति में विरूद्ध के स्थान पर समक्ष लिखना है तथा इसी पद में छटवी लाईन में 29.5.98 के आगे वर्ण ''की'' लिखना है, तथा इसी पद में पन्द्रह की पंक्ति में प्रस्तुत के स्थान पर प्रत्यावर्तित लिखना है। इसी प्रकार पद कमांक —4 सात वी पंक्ति में दिनांक 25.9.98 के स्थान पर दिनांक 29.5.98 लिखना है। उन्होंने निवेदन किया है कि उक्त भूल सुधार किया जावे। 2— आवेदक के अधिवक्ता के आवेदन पर विचार किया तथा आवेदन स्वीकार करते हुये पद ''1'' पढ़ा जावे इसी पद कमांक रिथपुर के स्थान पर सिंहपुर पढ़ा जावे इसी पद में तीसरी पंक्ति में विरूद्ध के स्थान पर समक्ष पढ़ा जावे इसी पद में छटवीं लाईन में 29.5.98 के आगे वर्ण ''की'' और पढ़ा जावे इसी पद में पन्द्रह की पंक्ति में प्रस्तुत के स्थान पर प्रत्यावर्तित पढ़ा जावे, इसी प्रकार पद कमांक—4 सात वी पंक्ति में दिनांक 25.9.98 के स्थान पर 29.5.98 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग मानी जावेगी । सदस्य	